मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन
भोपाल

क्रमांक / 1441 भोपाल, दिनांक 01.5.14

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
   मध्यप्रदेश

विषयः— समस्त गर्भवती महिलाओं की एचआईवी स्क्रीनिंग / टेस्ट करने बावत्।

एचआईवी संक्रमित गर्भवती माता से उसके होने वाले नवजात शिशु को एचआईवी का संक्रमण गर्भावस्था के दौरान, प्रसव के समय एवं प्रसव पश्चात हो सकता है। गर्भवती माता से उनके होने वाले नवजात शिशु में एचआईवी संक्रमण का होना एक गंभीर चिंता का विषय है।

एड्स नियंत्रण विभाग, भारत सरकार, द्वारा गर्भवती माँ से बच्चे में होने वाले संक्रमण की रोकथाम के लिए Prevention of Parents to Child Transmittion (PPTCT) कार्यक्रम संचालित है, जिसके तहत अधिक से अधिक गर्भवती महिलाओं को एचआईवी स्क्रीनिंग / टेस्टिंग उनकी सहमति के पश्चात की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में मध्यप्रदेश में 10 लाख गर्भवती माताओं की एचआईवी जॉच का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिस हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की जावें–

1. समस्त शासकीय अस्पतालों में प्रसव पूर्व जांच हेतु आने वाली गर्भवती माताओं को परामर्श प्रदान कर एचआईवी जॉच हेतु सहमति देने वाली गर्भवती माताओं की एचआईवी जॉच की जावे।
2. इसके अतिरिक्त ग्राम आरोग्य केन्द्र पर प्रसव पूर्व जांच हेतु आने वाली गर्भवती महिलाओं की एच.आई.व्ही. जांच एफ.आई.सी.टी.सी. / आई.सी.टी.सी. में कराई जाए। इस दौरान इनका चिकित्सकीय परीक्षण भी सुनिश्चित किया जाए जिससे यदि कोई जटिलता हो तो उसका चिन्हांकन कर प्रबंधन किया जा सके।
3. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से स्थापित FICTC केन्द्रों को पूर्ण रूप से क्रियाशील किया जाए। इन केन्दों पर कन्ज्यूमेबल्स की व्यवस्था मातृ स्वास्थ्य अंतर्गत जे.एस.एस.के. अंतर्गत प्रयोगशाला जांच हेतु प्रावधानित मद से किया जाए। म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति से एच.आई.व्ही. किट प्राप्त कर इन केन्द्रों को निरन्तर एचआईवी जॉच किट प्रदान की जावे।
4. विकासखंड में स्थापित सभी एफ.आई.सी.टी.सी. की रिपोर्ट SMIS (Strategic Management Inforamtion System) साफ्टवेयर में प्रत्येक माह की 4 तारीख तक ऑनलाईन भेजने की जिम्मेदारी ब्लॉक कम्यूनिटी मोबिलाईजर की होगी एवं विकासखंड चिकित्सा अधिकारी उक्त कार्य की मानीटरिंग करेंगे।
5. जिले के समस्त निजी चिकित्सालयों, नर्सिंग होम, प्रसूति गृहो में गर्भवती माताओं की होने वाली एचआईवी जॉच का विवरण जिला चिकित्सालय में स्थापित आई.सी.टी.सी. केन्द्र में पदस्थ परामर्शदाता एवं लैब टेक्निशियन द्वारा प्राप्त किया जा कर उसे SMIS (Strategic Management Inforamtion System) साफ्टवेयर में एफ.आई.सी.टी.सी. के प्रपत्र पर प्रत्येक माह की 4 तारीख तक प्रेषित किया जाएगा इस कार्य में जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जावेगा एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी 1 द्वारा इस कार्य की मानीटरिंग की जावेगी।

6. एचआईवी संक्रमित गर्भवती महिलाओं का पंजीयन तत्काल नजदीक के एआरटी केन्द्र में आई.सी.टी.सी. परामर्शदाता द्वारा कराया जावे, जिससे उन्हें आवश्यक एआरटी उपचार प्रदान कर माँ से बच्चे में होने वाले संक्रमण की संभावनाओं को कम किया जा सके। प्रदेश में स्थापित एआरटी केन्द्रों की सूची संलग्न है।
7. एचआईवी संक्रमित गर्भवती महिलाओं को हाई रिस्क श्रेणी में आती है अतः उपचार हेतु एआरटी केन्द्र तक लाने के लिए निशुल्क परिवहन जननी एक्सप्रेस के माध्यम से प्रदान किया जाए।
8. एचआईवी संक्रमित पाई जाने वाली गर्भवती महिलाओं की गोपनीयता किसी भी स्थिति में भंग ना हो इसका विशेष ध्यान रखा जावें।

कृपया जिले में अधिक से अधिक गर्भवती महिलाओं की एचआईवी जॉच हो इस हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

(प्रवीर कृष्ण)
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्र. / भोपाल, दिनांक..........

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, संचनालय स्वास्थ्य सेवाएं, सतपुडा भवन भोपाल।
2. परियोजना संचालक, म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल।
3. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल।
4. संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, संचनालय स्वास्थ्य सेवाएं, सतपुडा भवन भोपाल।
5. संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
7. उप संचालक, मातृ स्वास्थ्य, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, भोपाल।
8. उप संचालक, आशा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, भोपाल।
9. समस्त सिविल सर्जन सह अस्पताल अधिक्षक मध्यप्रदेश।
10. समस्त जिला स्वास्थ्य अधिकारी 1, मध्यप्रदेश।
11. समस्त जिला नोडल अधिकारीं, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम म.प्र.।
12. समस्त विकासखंड चिकित्सा अधिकारी, म.प्र.।
13. समस्त संभागीय कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, म.प्र.।
14. समस्त जिला कार्यक्रम प्रंबधक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, म.प्र.।
15. समस्त कम्युनिटी मोबिलाईजर, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, म.प्र.।
16. समस्त आई.सी.टी.सी. सुपरवाईजर, म.प्र.।
17. समस्त आई.सी.टी.सी. परामर्शदाता, लैब टेक्निशियन, म.प्र.।

प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग